न्यायालयः— विशेष न्यायाधीश (डकैती), गोहद, जिला भिण्ड म०प्र० (समक्षः पी०सी०आर्य)

1

विशेष डकैती प्रकरण<u>कमांकः 71/2015</u> संस्थित दिनांक—13/02/2015 फाईलिंग नंबर—230303009402012

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा— आरक्षी केन्द्र मालनपुर भिण्ड (म०प्र०)

-----अभियोजन

वि रू द्ध

भूरा उर्फ रवि पुत्र श्री तातीराम मिर्घा, उम्र 28 साल निवासी पिपरौली थाना गोहद जिला भिण्ड

...आरोपी

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल विशेष लोक अभियोजक आरोपी द्वारा श्री मुंशीसिह यादव अधिवक्ता

-::- दोषमुक्ति आ दे श -::-

(अंतर्गत धारा—232 द०प्र०सं० 1973) (आज दिनांक **28/07/2016** को खुले न्यायालय में घोषित)

- अभियुक्त भूरा के विरुद्ध धारा 393 भा0द0वि0, सहपिठत धारा—11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के अंतर्गत आरोप है कि उसने दिनांक 15/05/2012 के सुबह करीब 7 बजे पुलिस थाना मालनपुर जिला भिण्ड क्षेत्र के अंतर्गत हॉटलाइन फैक्ट्री के सामने आम रास्ते पर फिरयादी सतेन्द्र सिंह चौहान की जेब मे रखे पैसे लूटने का प्रयास डकैती प्रभावित क्षेत्र में किया।
- 2. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि घटना दिनांक 12/05/2012 को हॉटलाइन फैक्ट्री के सामने अंतर्गत थाना मालनपुर जिला भिण्ड के डकैती प्रभावित क्षेत्र में मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-91.07.81 बी-21 दिनांक 19.05.1981 की अनुसूची के कॉलम क्रमांक-2 के अनुसार मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 के प्रभावशील क्षेत्राधिकार के अंतर्गत था।
- 3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है कि फरियादी सतेन्द्र सिंह चौहान ने थाना मालनपुर पर इस आशय की रिपोर्ट की कि दि0—15/05/2012 को फरियादी सतेन्द्रसिंह सुबह करीब 7 बजे भिण्ड से ग्वालियर की तरफ जा रहा था, तभी हॉटलाइन फैक्ट्री के सामने भूरा मिर्धा निवासी पिपरौली ने उसकी मोटर साइकिल रोककर फरियादी की जेब में रखे पैसे लूटने

2

का प्रयास किया। उसी समय फरियादी का एक परिचित मोटर साइकिल से आ गया जिसे देखकर आरोपी लहचूरा की तरफ भाग गया।

- 4. फरियादी सतेन्द्रसिंह की उक्त रिपोर्ट पर से थाना मालनपुर में आरोपी के विरूद्ध अप.क.—63/12 धारा—393 भा०द०वि० एवं 11/13 एम०पी०डी०व्ही०पी०के एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया, एवं विवेचना के दौरान नक्शामौका व आरोपी की गिरफ्तारी एवं साक्षियों के कथन इत्यादि की कार्यवाही उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में आरोपी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया।
- 5. अभियोग पत्र एवं संलग्न प्रपत्नों के आधार पर अभियुक्त भूरा मिर्धा पर अभियोग पत्र एवं संलग्न प्रपत्नों के आधार पर अभियुक्त भूरा मिर्धा पर अश्व भा0दं०वि० सहपिटत धारा—11/13 एम०पी०डी०व्ही०पी०के० एक्ट के अंतर्गत आरोप लगाये जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया। धारा 313 जा० फौ० के तहत लिये गये अभियुक्त परीक्षण में अभियुक्त ने झूंटा फंसाये जाने का आधार लिया है। उसकी ओर से बचाव में किसी साक्षी का कथन नहीं कराया गया। विचारण किया गया। मामले में विचाराधीन आरोपी के विरुद्ध साक्ष्य के अभाव का बिन्दु विद्यमान हो जाने से और अभियोजन की साक्ष्य लेने, विचाराधीन आरोपी का धारा—313 द.प्र.सं. के तहत परीक्षा करने और उन्हें सुनने के पश्चात इस न्यायालय का ऐसा विचार है कि मामले में आरोपी के विरुद्ध संबद्ध विषय के बारे में साक्ष्य नहीं आयी है, इसलिये धारा—232 द.प्र.सं. 1973 के तहत यह दोषमुक्ति का आदेश पारित किया जा रहा है।
- 6. परीक्षित साक्षियों में से नवाब सिंह अ.सा.–1 के द्वारा पक्ष विरोधी होते हुए अभियोजन का विचाराधीन आरोप के संबंध में कोई भी समर्थन नहीं किया गया है तथा अन्य महत्वपूर्ण साक्षी मनोज कुशवाह और सतेन्द्र सिंह चौहान को अभियोजन साक्ष्य में प्रस्तुत करने में असफल रहा है। केवल घटना के विवेचक विनोद विनायक करकरे, निरीक्षक अ.सा.–2 का ही अभिसाक्ष्य हुई जिसने अपनी अभिसाक्ष्य में दि0–12/5/12 को थाना प्रभारी मालनपुर के पद पर रहते हुए फरियादी सतेन्द्र सिंह चौहान के द्वारा की गयी रिपोर्ट पर से आरोपी भूरा उर्फ रवि मिर्धा के विरूद्ध लूट के प्रयत्न की रिपोर्ट करने पर प्रदर्श पी.–2 की एफ आई आर कायम करते हुए अप.क.–63 / 12 धारा–393 भा.द.वि. एवं 11,/13 डकैती अधिनियम के तहत पंजीबद्ध करना और विवेचना में फरियादी सतेन्द्र की निशादेही पर प्र.पी.—3 का नक्शामीका तैयार करना, फरियादी सतेन्द्रसिंह व साक्षी मनोज क्शवाह व नवाबसिंह के उनके बताये अनुसार कथन लेखबद्ध करते हुए उनके आधार पर आरोपी को उक्त अपराध में प्र.पी.-4 मुताबिक गिरफतारी करने हेत् विवेचना पूर्ण कर अभियोगपत्र तैयार करने की साक्ष्य दी है। पैरा–3 में उसने यह भी स्वीकार किया कि एफ आई आर में फरियादी ने कितने रूपये उससे छीने गये ऐसा नहीं बताया था। और घटना के समय फरियादी किस नंबर की मोटरसाइकिल चला रहा था, यह भी नहीं बताया था। विचाराधीन अपराध में आरोपी से कोई हथियार की जब्ती नहीं हुई, बल्कि यह कहा है कि कटटा अन्य THE ST अपराध में जब्त है।

- 7. इस तरह से अ.सा.—2 की साक्ष्य का तब तक कोई महत्व नहीं है,जब तक कि स्वयं फरियादी सतेन्द्रसिंह द्वारा उसका समर्थन नहीं किया जाये, जबिक प्रकरण में अभियोजन को पर्याप्त अवसर देने के बाबजूद सतेन्द्रसिंह चौहान को साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं कर सका । ऐसे में साक्ष्य अभाव में विचाराधीन आरोप कर्तई प्रमाणित नहीं हो सकता है और मामला अ.सा.—2 की अभिसाक्ष्य के आधार पर कर्ताई प्रमाणित नहीं माना जा सकता है । इसलिये साक्ष्य अभाव को देखते हुए विचाराधीन आरोपी रिव उर्फ भूरा मिर्धा को धारा—232 द.प्र.सं. 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत विरचित आरोप धारा—393 भा.द.वि.सहपिठत धारा—11/13 एम.पी.डी.डही.पी.के. एक्ट 1981 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 8. आरोपी भूरा उर्फ रवि के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते है ।
- 9. प्रकरण में निराकरण के लिए संपत्ति जब्त नहीं है।
- 10. आरोपी का धारा-428 जा.फो. के तहत प्रमाणपत्र बनाया जावे।
- 11. निर्णय की एक प्रति जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को भेजी जाये।

दिनांक-28 / 07 / 2016

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(पी.सी. आर्य) विशेष न्यायाधीश,डकैती गोहद जिला भिण्ड (पी.सी. आर्य) विशेष न्यायाधीश,डकैती गोहद जिला भिण्ड

